



उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार-249404

संख्या: 129/01/डी0आर0(डिग्री)/सेवा-2/2021-22

दिनांक : 08 अगस्त, 2023

अधिमानी अर्हता विषयक सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर (राजकीय महाविद्यालय) चयन-2021 के विज्ञापन दिनांक 04 दिसम्बर, 2021 एवं विज्ञप्ति दिनांक 19 जनवरी, 2022 द्वारा प्राप्त ऑनलाइन आवेदन पत्रों में अंकित ए0पी0आई0 मेरिट के आधार पर श्रेणीवार/उपश्रेणीवार संशोधित कट ऑफ स्कोर के आधार पर शार्टलिस्टिंग परिणाम दिनांक 23 मई, 2023 को घोषित किया गया, जिसमें औपबन्धिक रूप से सफल अभ्यर्थियों से दिनांक 07 जून, 2023 तक प्राप्त किये गये अभिलेखों की सन्निरीक्षा के क्रम में शिक्षाशास्त्र (Education) विषय के कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में अधिमानी अर्हता के संबंध में किये गये दावे को संबंधित प्रमाण पत्र उपलब्ध न कराने के कारण निम्नवत् तालिका अनुसार मात्र आयोग द्वारा अधिमानी अर्हता के दावे को मान्य नहीं किया गया है:-

क्रमांक	विषय	अनुक्रमांक
(1)	(2)	(3)
1	512023	अभ्यर्थी द्वारा अधिमानी अर्हता के अन्तर्गत वाद विवाद/सेमिनार/पाठ्येत्तर कार्यकलाप का दावा किया गया है जिसके अन्तर्गत अभ्यर्थी द्वारा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया है, तदक्रम में अधिमानी अर्हता का दावा मान्य नहीं है।
2	512075	अभ्यर्थी द्वारा अधिमानी अर्हता के अन्तर्गत वाद विवाद/सेमिनार/पाठ्येत्तर कार्यकलाप का दावा किया गया है जिसके अन्तर्गत अभ्यर्थी द्वारा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया है, तदक्रम में अधिमानी अर्हता का दावा मान्य नहीं है।
3	512244	अभ्यर्थी द्वारा अधिमानी अर्हता के अन्तर्गत वाद विवाद/सेमिनार/पाठ्येत्तर कार्यकलाप का दावा किया गया है जिसके अन्तर्गत अभ्यर्थी द्वारा नेशनल सेमिनार प्रतिभाग करने के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया है, तदक्रम में अधिमानी अर्हता का दावा मान्य नहीं है।

अभ्यर्थी उपरोक्त वांछित अधिमानी अर्हता के संबंध में यदि कोई प्रत्यावेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं तो इस संबंध में साक्ष्यों सहित प्रत्यावेदन सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार-249404 के कार्यालय को दिनांक 23, अगस्त, 2023 (साँय 06:00 बजे) तक व्यक्तिगत रूप से कार्यालय दिवस सोमवार से शुक्रवार तक अथवा डाक/अन्य माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। तदपश्चात अभ्यर्थियों के इस विषय में प्राप्त किसी भी प्रत्यावेदन/प्रमाण-पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।

-Sd/

(गिरधारी सिंह रावत)
सचिव।